मनरेगा में दो संविदा अधिकारी नियुक्त
8 जनवरी तक कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश

27 दिसम्बर 2013, नारायणपुर/ राज्य शासन के निर्देशानुसार जिला पंचायत नारायणपुर के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के कारगर क्रियान्वयन हेतु जिले में दो संविदा अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है। जिसके तहत् कार्यक्रम अधिकारी पद हेतु श्री परमेश्वर प्रसाद वर्मा तथा सहायक प्रोग्रामर पद के लिए श्री जितेन्द्र देवांगन को संविदा नियुक्ति दी गयी है। उक्त संविदा नियुक्त अधिकारियों को प्रतिमाह एकमुश्त वेतन की पात्रता होगी। इन दोनों संविदा नियुक्त अधिकारियों को आगामी 8 जनवरी 2014 तक कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। यह संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है और संविदा नियुक्ति 28 फरवरी 2014 तक की अवधि के लिए होगी।

कार्यालय जिला पंचायत नारायणपुर (छ.ग.)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

दूरभाष : 07781-252288, फैक्स : 252287, Email : zp_npr@yahoo.com

—: आदेश :—

क्रमांक/ 2320 /जि.पं./स्था./2013 नारायणपुर दिनांक 24.12.2013

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर के पत्र क्रमांक/806/पंग्राविवि/22/2011 दिनांक 06.04.2011 तथा इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/689/जि.पं./स्था./2013 दिनांक 10.05.2013 द्वारा जिला पंचायत कार्यालय नारायणपुर अंतर्गत विभिन्न रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन अनुसार कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा में पात्र पाये जाने के फलस्वरुप निम्न दर्शित अभ्यर्थी को **कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा** के पद पर 28 फरवरी, 2014 तक की अवधि हेतु संविदा नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पति का नाम	वर्ग	पत्र व्यवहार का पता	पदस्थ कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
01	श्री परमेश्वर प्रसाद वर्मा	स्व.श्री रामखिलावन वर्मा	अना.	के./आफ मदन लाल टावरी, संतोष प्रोव्हिजन के पास संतोषी वार्ड जगदलपुर, जिला बस्तर	जनपद पंचायत नारायणपुर

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

शर्तें :—

1. संविदा पर 16440.00 रुपये एकमुश्त प्रतिमाह वेतन की पात्रता होगी तथा समय समय पर शासन द्वारा जो भी मानदेय उक्त पद के लिए निर्धारित किया जावेगा वह देय होगा।
2. वेतन का भुगतान योजना अंतर्गत आकस्मिक निधि से किया जावेगा।
3. संविदा नियुक्ति 28 फरवरी, 2014 तक के अवधि के लिए होगी।
4. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है।
5. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, अन्य कोई अवकाश देय नही होगा।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
7. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ–9–1/2012/1–3 दिनांक 17 जनवरी 2013 द्वारा जारी छ.ग.सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन होगी।
8. संविदा में नियुक्त कर्मचारी का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा। गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा आगामी वर्ष हेतु संविदा नियुक्ति अवधि में पुनः वृद्धि किये जाने पर विचार किया जावेगा तथा निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
9. शासन द्वारा संविदा नियुक्ति नियम में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह संविदा में नियुक्त कर्मचारी के लिए बंधनकारी होगा।
10. संविदा अवधि के दौरान दोनो पक्षों में से किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
11. कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत पश्चात नियुक्त कर्मचारी को संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से भैषेजिक प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कर्मचारी को शारीरिक/मानसिक रुप से अयोग्य पाया जाता है तो उसकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जावेगी।

12. संविदा नियुक्त कर्मचारी को चरित्र सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. सेवा समाप्ति के पश्चात संविदा शासकीय सेवक के रुप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नही होगी।
14. संविदा में नियुक्त कर्मचारी अपने मूल दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति के साथ जिला पंचायत कार्यालय में अपनी उपस्थिति देंगें।
15. कर्मचारी का चयन यदि जाति के आधार पर हुआ है तो उसे एक माह के अंदर स्थायी जाति प्रमाण पत्र गठित समिति के सत्यापन पश्चात प्रस्तुत करना होगा।
16. वर्तमान में की गई पदस्थापना में जिले के अंदर आवश्यकतानुसार संशोधन किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
17. उपस्थिति प्रतिवेदन आदेश जारी होने के 15 दिवस के अंदर (दिनांक 08.01.2014) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा एवं उपस्थित नही होने की दशा में वरीयता सूची के आधार पर प्रतीक्षारत अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान की जावेगी।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

KKroel
24-12-2013

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नारायणपुर

पृ.क्रमांक/2321/जि.पं./स्था./2013 नारायणपुर दिनांक24.12.2013

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डी.के.एस.भवन रायपुर।
2. आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना, विकास भवन सिविल लाईन्स, रायपुर।
3. आयुक्त, बस्तर संभाग जगदलपुर।
4. कलेक्टर, जिला नारायणपुर।
5. लेखा शाखा, जिला पंचायत नारायणपुर।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नारायणपुर/ओरछा।
7. संबंधित **श्री परमेश्वर प्रसाद वर्मा, पिता स्व.श्री रामखिलावन वर्मा** को पालनार्थ। आप **दिनांक 08.01.2014** तक उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

KKroel
24-12-2013

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नारायणपुर

कार्यालय जिला पंचायत नारायणपुर (छ.ग.)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

दूरभाष : 07781-252288, फैक्स : 252287, Email : zp_npr@yahoo.com

–: आदेश :–

क्रमांक / 2318 /जि.पं./स्था./2013 नारायणपुर दिनांक24.12.2013

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर के पत्र क्रमांक/806/पंग्राविवि/22/2011 दिनांक 06.04.2011 तथा इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/689/जि.पं./स्था./2013 दिनांक 10.05.2013 द्वारा जिला पंचायत कार्यालय नारायणपुर अंतर्गत विभिन्न रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन अनुसार कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा में पात्र पाये जाने के फलस्वरुप निम्न दर्शित अभ्यर्थी को **सहायक प्रोग्रामर मनरेगा (जिला स्तर)** के पद पर 28 फरवरी, 2014 तक की अवधि हेतु संविदा नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पति का नाम	वर्ग	पत्र व्यवहार का पता	पदस्थ कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
01	श्री जितेन्द्र देवांगन	श्री तेजभन देवांगन	अना.	प्रेमलाल देवांगन फैंसी स्टोर्स, ब्रम्हदाई पारा, खमतराई, सोलापुरी माता मंदीर के सामने, खमतराई रायपुर	जिला पंचायत नारायणपुर

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

शर्तें :–

1. संविदा पर 14180.00 रुपये एकमुश्त प्रतिमाह वेतन की पात्रता होगी तथा समय समय पर शासन द्वारा जो भी मानदेय उक्त पद के लिए निर्धारित किया जावेगा वह देय होगा।
2. वेतन का भुगतान योजना अंतर्गत आकस्मिक निधि से किया जावेगा।
3. संविदा नियुक्ति 28 फरवरी, 2014 तक के अवधि के लिए होगी।
4. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है।
5. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, अन्य कोई अवकाश देय नही होगा।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
7. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ–9–1/2012/1–3 दिनांक 17 जनवरी 2013 द्वारा जारी छ.ग.सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन होगी।
8. संविदा में नियुक्त कर्मचारी का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जावेगा। गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा आगामी वर्ष हेतु संविदा नियुक्ति अवधि में पुनः वृद्धि किये जाने पर विचार किया जावेगा तथा निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
9. शासन द्वारा संविदा नियुक्ति नियम में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह संविदा में नियुक्त कर्मचारी के लिए बंधनकारी होगा।
10. संविदा अवधि के दौरान दोनो पक्षों में से किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
11. कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत पश्चात नियुक्त कर्मचारी को संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से भैषेजिक प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कर्मचारी को शारीरिक/मानसिक रुप से अयोग्य पाया जाता है तो उसकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जावेगी।

12. संविदा नियुक्त कर्मचारी को चरित्र सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. सेवा समाप्ति के पश्चात संविदा शासकीय सेवक के रुप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नही होगी।
14. संविदा में नियुक्त कर्मचारी अपने मूल दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति के साथ जिला पंचायत कार्यालय में अपनी उपस्थिति देंगें।
15. कर्मचारी का चयन यदि जाति के आधार पर हुआ है तो उसे एक माह के अंदर स्थायी जाति प्रमाण पत्र गठित समिति के सत्यापन पश्चात प्रस्तुत करना होगा।
16. वर्तमान में की गई पदस्थापना में जिले के अंदर आवश्यकतानुसार संशोधन किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
17. उपस्थिति प्रतिवेदन आदेश जारी होने के 15 दिवस के अंदर (दिनांक 08.01.2014) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा एवं उपस्थित नही होने की दशा में वरीयता सूची के आधार पर प्रतीक्षारत अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान की जावेगी।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

24-12-2013

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नारायणपुर

पृ.क्रमांक/2319/जि.पं./स्था./2013 नारायणपुर दिनांक24.12.2013

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, डी.के.एस.भवन रायपुर।
2. आयुक्त, रोजगार गारंटी योजना, विकास भवन सिविल लाईन्स, रायपुर।
3. आयुक्त, बस्तर संभाग जगदलपुर।
4. कलेक्टर, जिला नारायणपुर।
5. लेखा शाखा, जिला पंचायत नारायणपुर।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत नारायणपुर/ओरछा।
7. संबंधित **श्री जितेन्द्र कुमार देवांगन, पिता श्री तेजभन देवांगन** को पालनार्थ। आप **दिनांक 08.01.2014** तक उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

24-12-2013

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत नारायणपुर